

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 94/टीजी-1/20/पी/पार्ट. आरएसी

नई दिल्ली, दिनांक 20.12.2016

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

महाप्रबंधक/पीआरएस,
क्रिस, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली.

(2016 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 71 का शुद्धिपत्र)

विषय: यात्रियों के लिए आरएसी बर्थों का आबंटन

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 14.12.2016 (2016 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 71) के समसंख्यक पत्र के अनुदेशों का अवलोकन करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुदेशों में यथा उल्लिखित आरएसी बर्थों की संशोधित संख्या एलएचबी कोचों सहित सभी किस्म के कोचों के लिए लागू है।


(संजय मनोचा)

उप निदेशक यात्री विपणन-I
रेलवे बोर्ड

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 94/TG-I/20/P/Pt.RAC

New Delhi, dated 20.12.2016

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

General Manager/PRS,
CRIS, Chanakya Puri,
New Delhi.

(CORRIGENDUM TO COMMERCIAL CIRCULAR NO.71 OF 2016)

Sub: Allotment of RAC berths to passengers.

Please refer to Board's instructions of even number dated 14.12.2016 (Commercial Circular No.71 of 2016) on the subject quoted above. It is clarified that the revised number of RAC berths as mentioned in the instructions is applicable to all types of coaches including LHB coaches.


(Sanjay Manocha)

**Dy. Director Passenger Marketing-I
Railway Board**